राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

संख्या–3864

प्रेषक,

दिनेश कुमार,
उप सचिव

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–जिला
निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
सिवान।

पटना, दिनांक– 13.9.21

विषय :– सिवान जिला के प्रखंड–गुठनी, ग्राम पंचायत–बेलौर एवं प्रखंड–दरौली ग्राम पंचायत–हरनाटाड के आरक्षण के संबंध में।

महाशय,

आपके पत्र के आलोक में आयोग में इसकी जाँच की गई जाँच के क्रम में प्रखंड–गुठनी, ग्राम पंचायत–बेलौर के प्रा0नि0क्षे0सं0–12, ग्राम कचहरी पंच पद के आरक्षण प्रपत्रों की जाँच की गई। इस संबंध में प्रखंड के प्रपत्र–03 मे पिछड़ा वर्ग–महिला को काटकर अनारक्षित–महिला किया गया है, जो गलत है। नियमानुसार पिछड़ा वर्ग–महिला होगा। तदनुसार 2021 का पंचायत निर्वाचन पिछड़ा वर्ग–महिला पर कराया जाए।

प्रखंड–दरौली ग्राम पंचायत–हरनाटाड़ के प्रा0नि0क्षे0सं0–02, ग्राम पंचायत सदस्य पद के आरक्षण प्रपत्रों की जाँच की गई। इस संबंध में प्रखंड के प्रपत्र–03 में अनारक्षित–महिला किया गया है, जो गलत है। अनारक्षित कोटि के 09 पद है जिसमें अनारक्षित–महिला को 04 पद दिया जाना है परन्तु प्रखंड एवं जिला स्तर पर 01 पद अधिक प्रपत्र–03 दर्ज है। आयोग स्तर पर उपलब्ध सूची में काटकर अनारक्षित–अन्य कर दिया गया है, परन्तु प्रखंड एवं जिला के प्रति में सुधार नहीं है। नियमानुसार प्रा0नि0क्षे0सं0–02, अनारक्षित–अन्य होगा तदनुसार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 16 के अनुसार प्रखंड एवं जिला के प्रति में सुधार करते हुए 2021 का पंचायत निर्वाचन अनारक्षित–अन्य पर कराया जाए।

विश्वासभाजन
13/9/21
उप सचिव।

ज्ञापांक–3864/– पटना, दिनांक–13.9.21/–

प्रतिलिपिः– आई.टी. मैनेजर, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि पत्र में वर्णित पदों के आरक्षण कोटि में सुधार करते हुए आयोग के वेबसाईट पर अपलोड करे।

13/9/21
उप सचिव।